

आवंटनादेश

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव ।

पटना, दिनांक:- 24.5.17

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड 26-2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2842 दिनांक 17.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त, बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत 1. विषयशीर्ष-0103.13.01 कार्यालय व्यय से बाल श्रमिक कोषांग पर व्यय हेतु एवं 2. विषयशीर्ष-0103.20.02 कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार से विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर 12 जून को आयोजित होने वाले कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार एवं मुख्यालय/अन्य स्तर पर आयोजित होनेवाले विभिन्न कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला, सेमिनार के आयोजन हेतु श्रमायुक्त के सचिव को निम्न प्रकार से आवंटन किया जाता है-

13 कार्यालयी व्यय	20- अन्य प्रशासनिक व्यय	योग-26-2230.01.103.0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण
0103.13.01 कार्यालय व्यय	0103.20.02 कॉन्फ्रेंस,कार्यशाला,सेमिनार	
1	4	5
10000	300000	310000

कुल आवंटित राशि ₹ 3,10,000/- (₹ तीन लाख दस हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि0 दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दे ।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,


  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।


ज्ञापांक:- 6/एफ1-303/17 श्र0सं0:-

06

पटना, दिनांक

24.5.17

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


  
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक:- 6/एफ1-303/17 श्र0सं0:-


06

पटना, दिनांक

24.5.17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/बजट शाखा, प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) /व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा।

  
(गोपाल मिश्रा)  
श्रमायुक्त, बिहार।